

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No. 230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 700 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 6-8-2024।

सेवा में

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक महोदय का पत्रांक 2560/12-1 दिनांक 14 जून, 2024 व अपका पत्रांक 7026/12-1 दिनांक 03.07.2024 व अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट का पत्रांक 1355/20सी० दिनांक 02.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में दो बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट द्वारा उनके पत्रांक 1355/20सी० दिनांक 02.08.2024 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसकी आख्या आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है-

क्र. सं.	प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12.01.2024 के बिन्दु संख्या 04 की सूचना चाही गयी सूचना के अनुरूप नहीं है। अपलोड के०एम०एल० का अवलोकन कर स्पष्ट सूचना प्रेषित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में बिन्दु संख्या 4 में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की के०एम०एल० ऑनलाईन भाग 1 में सही स्थान में अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे, जिसे सही स्थान पर अपलोड कर दिया गया था। वर्तमान में स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की के०एम०एल० फाईल देखने हेतु जियोरिफरेंस मैप में दिये गये कॉर्डिनेट के अनुसार खोलने पर मार्ग के वैकल्पिक एवं स्वीकृत समरेखण स्पष्ट प्रदर्शित हो जायेगा। (संलग्न-जियोरिफरेंस मैप की प्रति)
2	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12.01.2024 के बिन्दु संख्या 05 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण का ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के अवलोकन से दृष्टिगत हो रहा कि अभी भी दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर overlap हो रहे थे, जिस हेतु उपयुक्त नवीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 5.500 है० बनाकर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न-


<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर overlap हो रहे हैं, जिनको सही नहीं किया गया है।</p>	<p>जियोरिफरेंस मैप की प्रति) चूंकि प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित होने के कारण के0एम0एल0 डिविजन स्तर से अपलोड नहीं किया जा सकता है, अतः उक्त क्षेत्र का के0एम0एल0 ई0-मेल के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है जिसे आप अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।</p>
--	---

इसके अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त समरेखण में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है व भविष्य में परियोजना की के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण चयनित समरेखण के अनुसार ही किया जायेगा।

अतः महोदय से अनुरोध कि प्रकरण को अपने स्तर से उच्च स्तर को अग्रसारित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण का निस्तारण स-समय किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय



(आर0सी0 काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी


चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



पत्रांक:- 700/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



o/c



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

पत्रांक :- 1355/2024

दिनांक - 02/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत
पत्रांक 1279
चम्पावत संख्या 12-1
दिनांक 3-8-2024

विषय :- जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेडी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (Online No- FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 436/12-1 दिनांक, चम्पावत 24-7-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2560/12-1 देहरादून दिनांक 14-06-2024 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण विन्दुवार निम्नवत है-


क्र० सं०	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	भारत सरकार के उक्त पत्र में दिनांक 12-01-2024 के विन्दु संख्या-4 की सूचना, चाही गयी सूचना के अनुरूप अपलोड नहीं है। अपलोड KML का अवलोकन कर स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाय।	पूर्व में विन्दु सं० 4 में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की KML को Online के भाग-1 में सही स्थान में अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे, जिसे सही स्थान पर अपलोड कर दिया गया था, वर्तमान में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की KML फाइल देखने हेतु जियोरेफरेन्स मैप में दिये गये कोर्डिनेट के अनुसार खोला जाय। इस प्रकार मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण स्पष्ट प्रदर्शित हो जायेंगे। (संलग्न जियोरेफरेन्स मैप की प्रति)
2	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12-01-2024 के विन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण का ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के अवलोकन से दृष्टिगत हो रहा है कि अभी भी दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे हैं, जिनको सही नहीं किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/42256/2019) Over lapping हो रहे भाग को पृथक कर दिया गया है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नवीन CA Land 5.500 है० बना कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न जियोरेफरेन्स मैप CA Land की प्रति)

महोदय अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कर दिया गया है तथा परियोजना की KML फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण चयनित समरेण के अनुसार ही किया जायेगा तथा वर्तमान तक उक्त समरेखण में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण को अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण स-समय किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार संलग्नक 5 प्रतियों में।

भवदीय,



(इं० संजय चौहान)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
लोहाघाट।

पत्रांक :-/

दिनांक -/...../2024

- प्रतिलिपि - अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
लोहाघाट।

